न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**निधि बेनीवाल, आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	262/2016
सी.आई.एस. संख्या	:	136/2016
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130002262016
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	49/2016
पुलिस थाना	:	सरदारशहर

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

–– अभियोगी

बनाम

1. शमसेर पुत्र लियाकत, निवासी खालो, पुलिस थाना बसोली, जिला कठुवा (जम्मू एण्ड कश्मीर)
2. जोगिन्दरपाल पुत्र बंशीलाल, निवासी गोपाल चक, पुलिस थाना राजबाग (क्राईम चौक मैदान) जिला कठुवा (जम्मू एण्ड कश्मीर)

–– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः–

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री बाबू सिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

अपराध की दिनांक	28.01.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	28.01.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक	29.03.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	29.03.2016
साक्ष्य आरंभ करने की दिनांक	25.01.2019
अभियुक्तगण की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करने की दिनांक	16.03.2026

– निर्णय – **दिनांकः 16 मार्च, 2026**

1. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 28.01.2015 को रोड़वेज बस परिचालक परिवादी राकेश ने दौराने ईलाज अस्पताल में अपने पर्चा बयान इस आशय के लेखबद्ध करवाए कि, पर्चा बयान लेखबद्ध

Authenticated Document

करवाने की दिनांक को वे सुबह 06.00 बजे रतनगढ़ से रोड़वेज बस संख्या आरजे10 पीए 2948 सरदारशहर डीपो लेकर सरदारशहर के लिए रवाना हुए व रोडवेज बस को चालक ताराचंद पुरी चला रहा था। समय करीब 07.30 – 08.30 ए.एम. पर सर्दी में बहुत ज्यादा धुंध हाने के कारण सामने से एक ट्रक का ड्राईवर अपने ट्रक को तेजगति व लापरवारही से चलाता हुआ आया और रोड़वेज बस के टक्कर मार दी। फिर उसी पीछे से आ रहा एक ट्रक वहां खड़े टैम्पू व नीचे साईड में खड़े 2–3 व्यक्तियों के टक्कर मारकर तेजगति चलाता हुआ आगे जाकर अनकंट्रोल होकर पल्टा मार गया। दोनों ट्रक चालको ने अपने–अपने ट्रक को तेजगति से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिससे रोड़वेज बस चालक ताराचंद पुरी, परिवादी व सवारियों के सड़क किनारे खड़े व्यक्तियों के चोटें लगी। जब घटना घटित हुई तब परिवादी केबिन में चालक के पास बैठा था, इत्यादि। उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना सरदारशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49/2016 दर्ज की गई तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण शमसेर व जोगिन्दरपाल के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता में प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं का आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. प्रकरण में अभियुक्तगण का आहत सलीम से राजीनामा होने से धारा 337 भारतीय दंड संहिता में राजीनामा की अनुमति प्राप्त कर राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजीनामा पृथक से तस्दीक किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया हैः–

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह संख्या	साक्ष्य की प्रकृति
1.	राजेश गुप्ता	पी.डब्ल्यू.–1	चिकित्सीय साक्षी
2.	लक्ष्मीनारायण	पी.डब्ल्यू.–2	फर्द जब्ती बाबत्

Authenticated Document

3.	राकेश	पी.डब्ल्यू.–3	परिवादी/आहत
4.	रूपाराम	पी.डब्ल्यू.–4	आहत
5.	किशोर	पी.डब्ल्यू.–5	जब्तशुदा वाहनों के मैकेनिकल मुआयना बाबत्
6.	मीरा	पी.डब्ल्यू.–6	आहता
7.	जगदीश	पी.डब्ल्यू.–7	आहत
8.	सुरेन्द्र सिंह	पी.डब्ल्यू.–8	आहत
9.	सलीम	पी.डब्ल्यू.–9	आहत
10.	विजेन्द्र शर्मा	पी.डब्ल्यू.–10	पर्चा बयान लेखबद्ध करने के संबंध में
11.	किशनलाल	पी.डब्ल्यू.–11	अनुसंधान बाबत्
12.	सज्जन सिंह	पी.डब्ल्यू.–12	आहत
13.	नजमुदीन	पी.डब्ल्यू.–13	फर्द जब्ती बाबत्
14.	प्रभूराम	पी.डब्ल्यू.–14	आहत
15.	महेन्द्र सिंह	पी.डब्ल्यू.–15	आहत

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया हैः–

क्र.सं.	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श संख्या**
1.	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट क्रमशः मृतक अमरचंद, सुभाष व ताराचंद	प्रदर्श पी–1 ता प्रदर्श पी–3
2.	चोट प्रतिवेदन क्रमशः आहत – रूपाराम, सलीम, जगदीश, राकेश, प्रभुराम, सज्जन सिंह, महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मीरा एवं खीवजी	प्रदर्श पी–4 ता प्रदर्श पी–13
3.	फर्द जब्ती रोड़वेज बस संख्या आरजे10 पीए 2948	प्रदर्श पी–14
4.	पर्चा बयान	प्रदर्श पी–15
5.	रोड़वेज बस परिचालक राकेश के दिनांक 27.01.2016 के ड्यूटी चार्ज की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–16
6.	रोड़वेज बस परिचालक राकेश की नियुक्ति बाबत् कार्यालय आदेश	प्रदर्श पी–17
7.	आहत राकेश का एक्स–रे नहीं करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी–18
8.	पुलिस बयान राकेश	प्रदर्श पी–19

Authenticated Document

9.	पुलिस बयान रूपाराम	प्रदर्श पी–20
10.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 3581	प्रदर्श पी–21
11.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 5078	प्रदर्श पी–22
12.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन रोड़वेज बस संख्या आरजे10 पीए 2948	प्रदर्श पी–23
13.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन टैम्पो संख्या आरजे10 पीए 2522	प्रदर्श पी–24
14.	पुलिस बयान क्रमशः मीरा, जगदीश प्रसाद, सुरेन्द्र सिंह व सलीम	प्रदर्श पी–25 ता प्रदर्श पी–28
15.	आहत सलीम का एक्स–रे नहीं करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी–29
16.	फर्द सुरत हाल लाश पंचायतनामा क्रमशः मृतक ताराचंद, सुभाष व अमरचंद	प्रदर्श पी–30 ता प्रदर्श पी–32
17.	लाश सुपुर्दगी रसीद क्रमशः मृतक ताराचंद, सुभाष व अमरचंद	प्रदर्श पी–33 ता प्रदर्श पी–35
18.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–36
19.	नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–37 व प्रदर्श पी–37ए
20.	फर्द जब्ती ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 3581	प्रदर्श पी–38
21.	फर्द जब्ती ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 5078	प्रदर्श पी–39
22.	फर्द जब्ती एक टैम्पो संख्या आरजे10 पीए 2522	प्रदर्श पी–40
23.	रोड़वेज बस के चालक के ड्यूटी चार्ट की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–41
24.	रोड़वेज बस के चालक की नियुक्ति बाबत् कार्यालय आदेश	प्रदर्श पी–42
25.	फर्द जब्ती ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 3581 की मूल आरसी, बीमा, परमीट, प्रदूषण सर्टिफिकेट, फिटनेस व चालक शमसेर का ड्राईविंग लाईसेंस	प्रदर्श पी–43
26.	वाहन ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 3581 के स्वामी को जारी धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस	प्रदर्श पी–44

Authenticated Document

27.	फर्द जब्ती ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 5078 की मूल आरसी, बीमा, परमीट, प्रदूषण सर्टिफिकेट, फिटनेस व चालक जोगेन्द्रपाल सिंह का ड्राईविंग लाईसेंस	प्रदर्श पी–45
28.	वाहन ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 5078 के स्वामी को जारी धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस	प्रदर्श पी–46
29.	आरोप पत्र	प्रदर्श पी–47
30.	पुलिस बयान सज्जन सिंह	प्रदर्श पी–48
31.	पुलिस बयान प्रभुराम	प्रदर्श पी–49
32.	आहत प्रभुराम का एक्स–रे नहीं करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी–50
33.	पुलिस बयान महेन्द्र सिंह	प्रदर्श पी–51

6. अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध आई साक्ष्य का स्पष्टिकरण लिया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि, 'वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।' अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह के बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजात से अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित किया जावे।

इसके विपरीत, उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क रखा है कि अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये परिवादी एवं अन्य समस्त आहतगण न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनके द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाले एक मात्र दस्तावेज धारा 133 मोटर यान अधिनियम के नोटिस को अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

8. बहस अंतिम उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–

(क) आया दिनांक 28.01.2016 को समय करीब सुबह के 07.30 – 08.00 ए.एम. पर गांव बरलाजसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरू में रतनगढ़ से सरदारशहर जाने वाले मेगा हाई–वे लोकमार्ग पर अभियुक्त शमसेर ने वाहन संख्या डीएल1 जीसी 3581 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए सामने से आ रही रोडवेज बस संख्या आरजे10 पीए 2948 में टक्कर मार दी और उसी समय अभियुक्त जोगिन्दरपाल ने वाहन संख्या डीएल1 जीसी 5078 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए उपरोक्त बस, ट्रक, टैम्पों संख्या आरजे10 पीए 2522 के साथ–साथ पास खड़े व्यक्तियों को टक्कर मार दी, उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आहतगण रूपाराम, सलीम, जगदीश, राकेश, प्रभुराम, सज्जन सिंह, महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मीरा एवं खीवजी के शरीर पर साधारण व घोर उपहतियां कारित हुई तथा अमरचंद, सुभाष व ताराचंद की आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आने वाली मृत्यु कारित हो गई?

(ख) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

9. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया तथा प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–51 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण में गवाह **पी.डब्ल्यू.–1 राजेश गुप्ता** ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मैं दिनांक 28.01.2016 को राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में एमजे के पद पर कार्यस्त था उस दिन एसएचओ सरदारशहर की तहरीर पर मृतक अमरचन्द पुत्र नाथूराम जाति मेघवाल की पीएमआर तैयार की जो निम्न प्रकार है– पीएमआर प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से ठी मेरी राय है मेरी राय के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की चोट से बेहोशी में पाया जाना था। उसी रोज

Authenticated Document

मृतक सुभाषचन्द पुत्र सुल्तानाराम जाति जाट उम्र 18 वर्ष की पीएमआर तैयार की जो प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मेरी राय है। मेरी राय के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की चोट से बेहोश में जाना पाया गया था। उसी रोज मृतक ताराचन्द पुत्र श्योभगवान जाति पुरी उम्र 46 वर्ष की पीएमआर तैयार की जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है सी से डी मेरी राय है मेरी राय के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की चोट से बेहोशी में जाना पाया गया था। उसी रोज मजरूब रूपाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल उम्र 37 वर्ष के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया गया था जो निम्न हैः– 1. दाये कुल्हे पर दर्द बताता है। 2. खरोच 1 गुणा 1 सैमी दाये हाथ के पंजे पर। दोनों चोटें कुन्दाला कारित थी चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की थी व चोट संख्या एक के लिए एक्सरे की राय ली गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी आहत का पहचान चिन्ह है। उसी रोज मजरूब सलीम पुत्र भाप खां की आईआर तैयार की जो निम्न प्रकार है:– 1. सुजन 10 गुणा 5 सैमी दांयी जांघ पर। चोट को एक्सरे राय के लिए भेजा गया था एवं कुन्दाले से कारित थी। आईआर प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी आहत का पहचान चिन्ह है। उसी रोज मजरूब जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र 30 वर्ष के शरीर पर आई चोटो का मुआयना किया जो निम्न हैः– 1. कुचला हुआ घाव 2 गुणा 5 सैमी माथे पर। 2. खरोंच 1 गुणा 1 सैमी मिडियल मेडिओलस पर। 3. खरोंच 1 गुणा 1 सैमी बांये पैर के अंगूठे पर। सभी चोटे कुन्दाले से कारित थी। बोट संख्या एक को एक्सरे राय के लिए भेजा। चीट संख्या 2 व 3 साधारण प्रकृति की थी। आईआर प्रदर्श पी–है जिस पर एसे बी मेरे हस्ताक्षर है सीरी डी मजरूव का पहचान चिन्ह है। उसी रोज गजरूव राकेश चौधरी पुत्र जगवीर सिंह जाति जाट की आईआर तैयार की जो निम्न है– 1. दोनो तरफ की पसलियों पर दर्द बताता है। 2. बांये घुटने पर दर्द बताता है। 3. खरोच। गुणा। सैमी बाये हाथ के पंजे पर। सभी चोटे कुम्दाले से कारित थी चोट संख्या 1 व 2 को एक्सरे राय के लिए भेजा। चौट तख्या 3 साधारण प्रकृति की थी। आईआर प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। उसी रोज मजरूब प्रभुराम पुत्र सांवरमल नायक उम्र 23 वर्ष की आईआर तैयार की जो निम्न है– 1. कुचला हुआ घाव 2 गुणा 5 सैमी सिर पर दांयी तरफ। 2. कुचचा हुआ घाव 1 गुणा 5 सैमी नाक पर। 3. कुचला हुआ घाव 2 गुणा 5 सैमी दांये पैर के पंजे पर। 4. कुचला हुआ धाव 2

Authenticated Document

गुणा 5 सैमी बांये पैर पर। 5. कुचला हुआ घाव 1 गुणा 5 सैमी उपर के ओठ पर। सभी चोटे कुन्दाले से कारित थी चोट संख्या 2 ता 5 साधारण प्रकृति की थी चोट संख्या 1 वास्ते एक्सरे राय दी गई थी चोट संख्या प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है सी से डी मजरूय का पहचान चिन्ह है। उसी रोज मजरूब सजन सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष की आईआर तैयार की जो निम्न हैः– 1. खरोच 2 गुणा 1 सैमी दांये पैर पर। 2. कमर में निचे दर्द बताता है।चोट सख्या एक साधारण प्रकृति की। चाट संख्या 2 को एक्सरे राय के लिए भेजा। चोटे कुन्दाल कारित थी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। उसी रोज मजरूब महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत उम्र 31 की आईआर तैयार की जो निम्न है– 1. खरोच 2 गुणा 1 सेमी बांये घुटने पर। 2. खरोंच 1 गुणा 1 सेमी दांये हाथ के पंजे पर। 3. खरोच 1 गुणा 1 सैमी चेहरे पर दांयी तरफ। सभी चोटे साधारण प्रकृति की एवं कुन्दाले से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। उसी रोज मजरूव सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत उम्म्र 45 वर्ष की आईआर तैयार की जो निम्न है– 1. खरोंच 2 गुणा 1 सैमी बाये छूटने पर। 2 खरोंच 2 गुणा 1 सैमी दाये घुटने पर। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की एवं कुन्दाले से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। उसी रोज श्रीमती मीरा पत्नी खिवाराम मेघवाल उम्र 55 वर्ष की आईआर तैयार की जो निम्न है– 1. निलगू 1 गुणा 1 सैमी होठो पर। चोट साधारण प्रकृति की एवं कन्दाले से कारित थी। आईआर प्रदर्श पी–12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मजरूबा का पहचान चिन्ह है। उसी रोज श्रीमती खीवणी पत्नी केशराराम उम्र 40 वर्ष की आईआर तैयार की जिसमें कोई चोट नहीं पाई गई। आईआर प्रदर्श पी–13 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूबा का पहचान चिन्ह है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–2 लक्ष्मीनारायण** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 28.01.2016 को मैं सरदारशहर रोडवेज डीपो के वर्कशॉप में फीटर के पद पर कार्यरत था। उस रोज हमारे डीपो की बस आरजे10 पीए 2948 का एक्सीडेंट हो गया था। तब पुलिस ने मेरे सामने इस बस को जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 के जप्त किया था व मौके पर फर्द जप्ती रोडवेज बस आरजे10 पीए 2948 तैयार की थी। प्रदर्श पी–14 पर

Authenticated Document

ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–3 राकेश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि मैं 28.01.2016 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बस पर परिचालक के पद पर कार्यरत था। उस रोज सुबह 6 बजे रतनगढ से सरदारशहर रोडवेज बस नंबर आरजे10 पीए 2948 लेकर मेरे साथ रोडवेज बस चालक ताराचंद गुसांई रवाना हुआ। जब हम सरदारशहर के पास मेहरासर पहुंचे तो सामने से एक ट्रक का चालक तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाकर लाया व रोडवेज बस के टक्कर मार दी जिससे रोडवेज चालक ताराचंद गुसांई सहित काफी सवाारियों के चोटे आई। मेरे भी चोटे आई। मौके पर एक अन्य ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के नंबर मुझे ध्यान नहीं है, ना ही चालक के बारे में कोई जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। मैं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। पर्चा बयान प्रदर्श पी–15 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिसका हिस्सा सी से डी सुनकर कहा कि मेरा नहीं लिखवाया हुआ। किसने लिखा है मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो अस्पताल में घायल अवस्था में था व मौके पर ही बेहोश हो गया था। बेहोशी की अवस्था से थोडा सा ही होश आते ही हस्ताक्षर कर दिए थे पता नहीं इसमें क्या कुछ लिखा है। मुझे यह भी नहीं पता कि साइड में सडक पर खडी सवारियों के चोटे आई हो या मौत हो गई हो। मुझे नहीं पता कि कुल कितने लोगो के चोटे आई व कितने लोगो की मौत हो गई। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को ट्रक नंबर डीएल1 जीसी 3581 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाकर रोडवेज बस के टक्कर मारने की बात लिखवाई हो और यह कहना भी गलत है कि इस टक्कर के तुरंत पश्चात दूसरे ट्रक डीएल 1 जीसी 5078 के चालक ने भी अपने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर वहां मौके पर खडे टैंपो व नीचे साइड में खडी दो सवारियों के टक्कर मार दी हो व फिर अनियंत्रित होकर पलट गया हो। अजखुद कहा कि मैं तो पहली टक्कर होते ही बेहोश हो गया था व टक्कर लगते वक्त मैं सवारियों की टिकिट बना रहा था, इस कारण मेरा ध्यान दुर्घटना की तरफ नहीं था। इस कारण ट्रक के नंबर नहीं देख पाया व दुर्घटना के बाद तुरंत जयपुर चला गया इसलिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रको के नंबर क्या थे। मुझे यह भी नहीं पता कि मौके पर दो एक्सीडेट हुए थे क्योंकि मैं तो पहले

Authenticated Document

ही बेहोश हो गया था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना सही है कि पहली दुर्घटना के बाद मौके पर मेरे बेहोश होने तक सवारियां व अन्य वाहनो से जाम लग गया था इस कारण कोई भी वाहन तेज गति से रोड को पार नहीं कर पाएगा। जब तक मैं होश में रहा तब तक कोई भी वाहन तेज गति से रोड को पार करके नहीं गया। यह कहना सही है कि वरवक्त दुर्घटना काफी धुंध थी, सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते थे, इसलिए मैंने मुख्य परीक्षा में जो तेज गति व लापरवाही पुर्वक ट्रक चलाकर दुर्घटना कारित करना बताया है वह अंदाजन बताया है। मेरा ध्यान तो टिकिट काटने पर था इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ट्रक तेज गति से चल रहा था या नहीं। दुर्घटनाएं किसकी गलती व लापरवाही से हुई मैं नहीं बता सकता।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–4 रूपाराम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि वर्ष 2016 की बात है, मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रहा था। तब रास्ते में मैं जिस बस में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। ना तो मुझे मैं जिस बस में बैठा था उसके नंबर ध्यान में है और ना ही यह पता कि दुर्घटना किन किन वाहनो के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनो के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालको के बारे में जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–20 का हिस्सा ए से बी मैंने कभी नहीं लिखवाया, किसने लिखा है मुझे जानकारी नहीं है। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था, मैंने बाद में सुना था कि कोई ट्रक या ट्रेलर से एक्सीडेंट हुआ था जिनके नंबर मुझे ध्यान नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–5 किशोर** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 31.01.2016 को मै पुलिस थाना सरदारशहर में चालक एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ की तहरीर पर मैने एफआईआर नंबर 49/2016 में से जब्तशुदा वाहनो में से वाहन ट्रक डीएल01 जीसी 3581 का मैकेनिकल मुआयना कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 तैयार की थी जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। वाहन का मैन सीसा, फ्रेम टूटा हुआ था। सेफ, ग्रील, बम्पर मुची हुई थी।

चारो हैडलाईट दोनों इंडीगेटर टूटे हुए थे। रेडियेटर, एसी रेडियेटर, खिडकी के शीशे टूटा हुआ था। चेसिस मुडा हुआ था। बॉडी बैड थी। बाडी की 05 एंगल मुडी हुई थी। तीन भत्ते टूटे हुए थे। केबिन क्षतिग्रस्त था। टक चलने की स्थिति में नही था। उसी रोज एसएचओ की तहरीर पर मैने वाहन टक डीएल 01 जीसी 5078 का मैकेनिकल मुआयना कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 तैयार की थी जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है टक का दाये साईड का मेन सीस टूटा हुआ था। सेफ दाये साईड से मुचा हुआ था। बम्पर मुचा हुआ था। दाये साईड के दोनो हेडलाईट टूटी हुई थी। सेफटी बम्पर पर रगडक लगी हुई थी। केबिन दायी साईड से मुचा हुआ था। खिडकी का सीसा टूटा हुआ था। मडगार्ड आगे का दायी साईड का मुचा हुआ था। कैबिन में दायी साईड रगडक लगी हुई थी। 13 एगंल बीच से मुडी हुई थी। सात फटटीयां टूटी हुई थी। डीजल टैक की सैफटी कवर मुची हुई थी। पीछे का बम्पर मुडा था व ग्रिल भी मुडी हुई थी। दाये साईड का इंडीगेटर टूटा हुआ था। फिर दिनांक 01.02.2016 को एसएचओ की तहरीर पर मैने वाहन बस आरजे 10 पीए 2948 का मैकेनिकल मुआयना कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 तैयार की थी जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। वाहन का मेन सीसा टूटा हुआ है व मेन डेश मुचा हूआ है तथा बस का सेफ मुचा हुआ है। रेडियेटर ग्रिल मुची हुई है रेडियर टूटा हुआ है। रेडियर के आगे लगा एसी रेडियर टूटा हुआ है बस के आगे का बंम्पर मुचा हुआ है आगे की चारो हैडलाईट व इंडीगेटर टूटा हुआ है। बस का चेसिस आगे मुडा हूआ है। व इंजन आगे की साईड से टूटा हुआ है। सैल्फ इंजन से टूटकर अलग हुआ है। गियर का होजिंग टूटा हुआ है। गियर बक्सा टूटा हुआ। बायी कबानी की पटटी टूटी हुई । बस का स्टेयरिग व्हील मुडा हुआ है। इग्निशन पेनिल टूटी हुई है। बस की बॉडी दायी साईड से अंदर की ओर मुची हूई है। बस के कुछ खिडकीयों के सीसे टूटे हुए थे व फ्रेम मुडे हुए थे। दायी साईड की पांच व बायी साईड की तीन सीटे टूटी हुई थी। परिचालक फाटक टूटा हुआ थां। बोनेट मुचा हुआ था। टूल बॉक्स चालक सीट टूटा हुआ था। केबिन मुडा हुआ था। केबिन की पीछे फर्श मुचा हुआ था। पोपुलर सॉफट मुडी हुई थी। बायी साईड के टायर की ब्रेक पाईप फटी हुई थी। एयर क्लीनर मुचा हुआ था। पीछे का बंम्पर मुचा हुआ था। मैने साईड का सीसा फेम्र मुडा हुआ था। आगे की छत मुडी हुई थी। बस पुरी तरह क्षतिग्रस्त थी जो चलने की स्थिति में नही थी। 31.01.2016 को ही एसएचओ की तहरीर पर मैने वाहन टैम्पू आरजे 10 पीए 2522

Authenticated Document

का मैकेनिकल मुआयना कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–24 तैयार की थी जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। वाहन का मुख्य सीसा, हुढ के पाईप हैडलांईट, ब्रेक लिवर, क्लच, आगे के टायर का चिमटा, टायर,शॉकर, पीछे की व बीचे की सीटे, ड्राईवर साईड का तकीया, ब्रेक व इंडीगेटर लाईट दायी साईड की कबानी व दायी साईड की टायर की रिम ये सभी टूटी हुई थी। व सीसा फ्रेम मुचा हुआ था। टैम्पू का हुड फटा हुआ था। सेफ तथा डेस बोर्ड, टैम्पू की बाडी, मटगार्ड मुची हुई थी। टैम्पू क्षतिग्रस्त था। व चलने की स्थिति में नही था।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–6 मीरा** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि वर्ष 2016 की बात है, मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रही थी तब रास्ते में मैं जिस बस में बैठी थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। ना तो मुझे मैं जिस बस में बैठी थी उसके नंबर ध्यान में है और ना ही यह पता कि दुर्घटना किन किन वाहनो के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनो के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालको के बारे में जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–25 का हिस्सा ए से बी ऐसा मैंने कभी नहीं लिखवाया, किसने लिखा है मुझे जानकारी नहीं है। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया थी इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकती कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–7 जगदीश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि वर्ष 2016 की बात है, मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रहा था। मेरे पास एक टेंपो था जो ट्रक व बस के बीच में आ गया था जिस वजह से मेरे चोटे आई थी। ना तो मुझे इस बस के नंबर ध्यान में है और ना ही ट्रक के नंबर ध्यान में है और ना ही यह पता कि दुर्घटना किन किन वाहनो के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनो के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालको के बारे में जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त

Authenticated Document

गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। मेरे पुलिस बयान हुए थे। यह कहना गलत है कि रोडवेज की बस के नंबर आरजे10 पीए 2948 हो व ट्रक के नंबर डीएल वनजीसी 3581 होना मैं जानता होउ। यह कहना गलत है कि ट्रक चालक की तेज गति व लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई हो। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकती कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–8 सुरेन्द्र सिंह** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब 8–9 साल पहले की बात है, मैं व महेन्द्र सिंह सरदारशहर में काम से रोडवेज बस से आ रहे थे। बरडासर गांव के पास पहुंचे तो बस का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था जिससे हमारे चोटें आई थी। जिसमें तीन आदमीयों की मृत्यू हो गई थी। बस के नंबर मुझे पता नहीं है। एक्सीडेंट ट्रक वाले की गलती से हुआ था। ट्रक के नंबर व ट्रक कौन चला रहा था मुझे पता नही है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना गलत है कि रोडवेज की बस के नंबर आरजे 10 पीए 2948 हो व ट्रक के नंबर डीएल वनजीसी 3581 होना मैं जानता होउ। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–9 सलीम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब दस साल पहले की बात है, मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रहा था तब रास्ते में मैं जिस बस में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। ना तो मुझे मैं जिस बस में बैठा था उसके नंबर ध्यान में है और ना ही यहा पता कि दुर्घटना किन किन वाहनो के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनो के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालको के बारे में जानकारी है।

Authenticated Document

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है, लिखित में राजीनामा न्यायालय में पेश कर दिया है। मैं अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। यह कहना गलत है कि मै किसी ट्रक में बैठा होउ और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया हो। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। वरवक्त दुर्घटना मेरे साथ और कौन–कौन था आज मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–10 विजेन्द्र शर्मा** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 28.01.2016 को मैं पुलिस थाना सरदारशहर में एएसआई के पद पर कार्यरत था उस रोज सडक दुर्घटना की सूचना मिलने पर राजकीय अस्पताल सरदारशहर पहुंचा जहा दुर्घटना में घायल राकेश चैधरी के पर्चा बयान उस कथनानुसार लेखबद्व किये जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठाकंन मेरे द्वारा किया गया है। दुर्घटना में मृतक ताराचंद, सुभाष, अमरचंद के पंचनामा प्रदर्श पी–30, 31, 32 तैयार किये गए। जिन पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे मौतवीरान के से एल मेरे हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम तीनो मृतको की लाश उनके रिश्तेदारो को जरिये फर्द प्रदर्श पी–33,34,35 सुपुर्द की गई। जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। वापस थाना आकर एफआईआर संख्या 49/2016 दर्ज करवायी गई। जिसका पृष्ठाकंन प्रदर्श पी–15 पर आई से जे है। के से एल थानाधिकारी ओमप्रकाश गोदारा के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–36 पर ए से बी मेरे सी सेडी थानाधिकारी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है जो मै साथ काम करने के कारण पहचानता हूॅ।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–11 किशनलाल** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 28.01.2016 को मैं पीएस सरदारशहर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज एफआईआर संख्या 49/2016 की तफ्तीश मेरे सुपुर्द हुई। दौराने तफतीश घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–37 तैयार किया जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबीरान व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। हालात प्रदर्श पी–37ए पर है, जिस पर ए

से बी मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल के फोटोग्राफस शामिल किए जो कुल 13 है। ट्रक नंबर डीएल1 जीसी 3581 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–38 जब्त किया जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। ट्रक नंबर डीएल1 जीसी 5078 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–39 जब्त किया जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। रोडवेज बस नंबर आरजे 10 पीए 2948 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 जब्त किया जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। टैंपो नंबर आरजे 10 पीए 2522 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–40 जब्त किया। सभी वाहनो के कागजात शामिल किए। रोडवेज बस के चालक ड्यूटी बाबत चार्ट प्रदर्श पी–41, परिचालक ड्यूटी चार्ट प्रदर्श पी–16 व 17, कार्यालय आदेश प्रदर्श पी–42 की प्रमाणित प्रतियां शामिल की। मैकेनिकल मुआयना कराकर रिपोर्ट शामिल की। पीएमआर, चोट प्रतिवेदन शामिल किए। ट्रक नंबर डीएल 1 जीसी 3581 के कागजात को जरिए फर्द प्रदर्श पी–43 जब्त किया जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। ट्रक नंबर डीएल 1 जीसी 3581 के वाहन स्वामी सचिन जैन को नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–44 दिया जिस पर ए से बी नोटिस का जवाब होकर सी से डी सचिन जैन व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। ट्रक नंबर डीएल 1 जीसी 5078 के मूल कागजात जरिए फर्द प्रदर्श पी–45 जब्त किए जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। उक्त ट्रक के मालिक कुलदीप सिंह को नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–46 दिया जिस पर ए से बी नोटिस का जवाब होकर सी से डी कुलदीप के हस्ताक्षर है व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। गवाहान राकेश चैधरी, रूपाराम, सज्जन सिंह, खीवणी, प्रभुराम, मीरा, सुरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, जगदीश प्रसाद, पवन कुमार, सलीम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। बाद तफतीश मुलजिम शमशेर खां, जोगीन्द्र पाल के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते पेश करने आरोप पत्र थानाधिकारी ओमप्रकाश गोदारा को पेश की जिन्होंने चालान प्रदर्श पी–47 न्यायालय में पेश किया जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है जो मैं साथ में काम करने के कारण पहचानता हूं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कियह कहना सही है कि मैंने मूल आरसी ऑनर के कोई बयान नहीं लिए थे। मैं यह नहीं बता सकता कि मूल आरसी ऑनर द्वारा किस चालक को रखा गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि मूल

Authenticated Document

आरसी ऑनर के कूल कितनी गाडियां है। यह कहना सही है कि मैंने आरसी ऑनर के कहने मात्र से शमशेर व जोगीन्द्र को चालक मानकर मुलजिम रखा था। यह कहना सही है कि घटना के रोज तेज कोहरा था जिस कारण हाथ से हाथ नहीं दिख रहा था।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–12 सज्जन सिंह** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब दस साल पहले की बात है, मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रहा था तब रास्ते में मैं जिस बस में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। ना तो मुझे मैं जिस बस में बैठा था उसके नंबर ध्यान में है और ना ही यहा पता किं दुर्घटना किन किन वाहनो के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनो के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालको के बारे में जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। मैं अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। वरवक्त दुर्घटना मेरे साथ और कौन–कौन था आज मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मौके पर जब दुर्घटना हुई और मैं बस से नीचे उतरा तब मौके पर वह ट्रक नहीं था और ना ही आसपास कोई ट्रक था।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–13 नजमुदीन** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब दस साल पहले की बात है, मैं उस वक्त राजस्थान रोडवेज में चालक के पद पर था तब एक रोडवेज बस आरजे10 पीए 2948 का एक्सीडेंट हो गया था। तब पुलिस वालों ने उक्त बस को मेरे सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 के जब्त किया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–14 प्रभुराम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब दस साल पहले की बात है. मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रहा था तब रास्ते में मैं जिस बस में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। ना तो मुझे मैं जिस बस में बैठा था उसके नंबर ध्यान में है और ना ही यहा पता कि

दुर्घटना किन किन वाहनों के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनों के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालको के बारे में जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। मैं अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। वरवक्त दुर्घटना मेरे साथ और कौन–कौन था आज मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मौके पर जब दुर्घटना हुई और मैं बस से नीचे उतरा तब मौके पर वह ट्रक नहीं था और ना ही आसपास कोई ट्रक था।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–15 महेन्द्र सिंह** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब दस साल पहले की बात है। मैं किसी काम से मेरे गांव से सरदारशहर आ रहा था तब रास्ते में मैं जिस बस में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। ना तो मुझे मैं जिस बस में बैठा था उसके नंबर ध्यान में है और ना ही यहा पता कि दुर्घटना किन किन वाहनों के बीच हुई थी और किसकी गलती व लापरवाही से हुई थी। ना ही मुझे वाहनों के नंबर ध्यान में है और ना ही उनके चालकों के बारे में जानकारी है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह सही है कि मेरा अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। मैं अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गया था इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने मेरे सामने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया था। वरवक्त दुर्घटना मेरे साथ और कौन–कौन था आज मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि वाहनो के चालक कौन थे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मौके पर जब दुर्घटना हुई और मैं बस से नीचे उतरा तब मौके पर वह ट्रक नहीं था और ना ही आसपास कोई ट्रक था।

Authenticated Document

10. विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि, परिवादी राकेश के पर्चा बयान प्रदर्श पी–15 के आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया था। पर्चा बयान प्रदर्श पी–15 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा प्रथम किसी अज्ञात ट्रक के अज्ञात चालक द्वारा उनकी रोडवेज बस में टक्कर मार देने एवं उक्त दुर्घटना होने के पश्चात् किसी दूसरे अज्ञात ट्रक के अज्ञात चालक द्वारा पुनः उक्त बस में, पास में खड़े टैम्पों व पास खड़ी सवारियों के टक्कर मार देने बाबत् अभिकथन किये है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण दो अज्ञात ट्रक के अज्ञात चालकों के विरुद्ध संस्थित करवाया गया था तथा पर्चा बयान में चालकों के नाम के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार जहां अभियुक्तगण शमसेर व जोगिन्दरपाल के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी, वहां अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण की पहचान को साबित करते हुए, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करना था कि वरवक्त घटना तथाकथित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहनों का संचालन अभियुक्तगण शमसेर व जोगिन्दरपाल द्वारा ही किया जा रहा था। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त दोनों अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाली जो अहम कड़ी है, वह धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–44 व प्रदर्श पी–46 है। दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा नोटिस प्रदर्श पी–44 किसी सचिन जैन तथा इसी प्रकार नोटिस प्रदर्श पी–46 किसी कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति को दिया गया था, किंतु उक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं करवाई जा सकी है। उक्त गवाहान की तलबी सुनिश्चित किये जाने के प्रत्येक सार्थक प्रयास किये जाने के पश्चात् तथा उक्त गवाहान द्वारा प्रकरण का ज्ञान के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उक्त गवाहान की तलबी बंद की जाकर अभियोजन पक्ष को गवाहान को बयान मुलजिम से पूर्व अपने स्तर पर पेश कर परीक्षित करवाने बाबत् अवसर प्रदान किया गया था, किंतु उसके बावजूद भी उक्त गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं करवाई गई है। उपरोक्त महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (छ) के तहत यह उपधारणा की जाएगी कि, वह साक्ष्य जो पेश किए जा सकते हैं और पेश नहीं किए गए है, पेश किए जाते तो

अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल होते अर्थात् यदि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाहान को पेश किया जाता तो उसकी साक्ष्य अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल होती। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त नोटिस प्रदर्श पी–44 व प्रदर्श पी–46, अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाली सबसे कड़ी थी तथा स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.–11 किशनलाल द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसने आरसी ऑनर के कहने मात्र से अभियुक्त शमसेर व जोगिन्द्र को चालक मानाकर मुलजिम रखा था, परंतु उक्त महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त की पहचान को प्रमाणित करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी धारा 133 मोटर यान अधिनियम के नोटिस के तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित नहीं हो पाए है, जो कि अभियुक्तगण की पहचान के तथ्य को संदेह के घेरे में डाल देता है।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह परिवादी/आहत राकेश को बतौर पी.डब्ल्यू.–3 न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया है। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र ट्रक चालक द्वारा उसकी बस के टक्कर मार देने बाबत् कथन करता है और दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के नंबर व चालक के बारे में जानकारी होने के तथ्य से स्पष्टतया इनकारी करके आ रहा है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त गवाह से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, जिसमें उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व पर्चा बयान में वर्णित अभिकथनों की पुष्टि नहीं की है। उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण का सुसंगत भाग इस प्रकार है कि, "पर्चा बयान प्रदर्श पी–15 का हिस्सा सी से डी उसका नहीं लिखवाया हुआ, किसने लिखा है उसे जानकारी नहीं है। वह तो अस्पताल में घायल अवस्था में था व मौके पर ही बेहोश हो गया था। बेहोशी की अवस्था से थोडा सा ही होश आते ही हस्ताक्षर कर दिए थे पता नहीं इसमें क्या कुछ लिखा है। उसे यह भी नहीं पता कि साइड में सडक पर खडी सवारियों के चोटे आई हो या मौत हो गई हो। उसे नहीं पता कि कुल कितने लोगों के चोटे आई व कितने लोगो की मौत हो गई। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस को ट्रक नंबर डीएल1 जीसी 3581 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाकर रोडवेज बस के टक्कर मारने की बात लिखवाई हो और यह कहना भी गलत है कि इस टक्कर के तुरंत पश्चात दूसरे ट्रक डीएल1 जीसी 5078 के चालक ने भी अपने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर वहां मौके

Authenticated Document

पर खडे टैंपो व नीचे साइड में खडी दो सवारियों के टक्कर मार दी हो व फिर अनियंत्रित होकर पलट गया हो। अजखुद कहा कि वह तो पहली टक्कर होते ही बेहोश हो गया था व टक्कर लगते वक्त वह सवारियों की टिकिट बना रहा था, इस कारण मेरा ध्यान दुर्घटना की तरफ नहीं था। इस कारण ट्रक के नंबर नहीं देख पाया व दुर्घटना के बाद तुरंत जयपुर चला गया इसलिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रको के नंबर क्या थे। मुझे यह भी नहीं पता कि मौके पर दो एक्सीडेट हुए थे, क्योंकि वह तो पहले ही बेहोश हो गया था। यह कहना सही है कि वरवक्त दुर्घटना काफी धुंध थी, सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते थे, इसलिए उसने मुख्य परीक्षा में जो तेज गति व लापरवाही पुर्वक ट्रक चलाकर दुर्घटना कारित करना बताया है वह अंदाजन बताया है। उसका ध्यान तो टिकिट काटने पर था इसलिए वह नहीं बता सकता कि ट्रक तेज गति से चल रहा था या नहीं। दुर्घटनाएं किसकी गलती व लापरवाही से हुई मैं नहीं बता सकता।" इस प्रकार प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी/आहत द्वारा अपने पर्चा बयान में वर्णित तथ्यों की न्यायालय के समक्ष पुष्टि नहीं की है तथा दुर्घटना किसकी गलती व लापरवाही से कारित हुई, इस संबंध में जानकारी नहीं होने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। पर्चा बयान प्रदर्श पी–15 में पहले ट्रक के टक्कर मार देने के पश्चात् दूसरे ट्रक द्वारा भी टक्कर मार देने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परंतु उक्त गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने पर्चा बयान में वर्णित तथ्यों के पूर्णतया विपरीत कथन करते हुए मौके पर दो दुर्घटनाएं होने के तथ्य से ही इनकारी करके आ रहा है। उक्त गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है तथा अपनी साक्ष्य में, दुर्घटनाएं किसकी गतली से हुई, दुर्घटना में कितने लोगों के चोटें आई, दुर्घटना कारित करने वाले वाहनों के नंबर व चालकों कौन थे आदि समस्त तथ्यों के संबंध में जानकारी नहीं होने बाबत् स्पष्ट कथन किया है तथा उक्त गवाह अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने व प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् कथन किये गये है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है तथा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से नहीं जोड़ा जा सकता है।

12. इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेखनीय है कि वरवक्त घटना, घटनास्थल पर कई सवारियां व अन्य व्यक्ति मौजूद थे तथा दोनों दुर्घटनाओं से काफी लोगों के चोटें आई व तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर आहतगण

पी.डब्ल्यू.–4 रूपाराम, पी.डब्ल्यू.–6 मीरा, पी.डब्ल्यू.–7 जगदीश, पी.डब्ल्यू.–8 सुरेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू.–9 सलीम, पी.डब्ल्यू.–12 सज्जन सिंह, पी.डब्ल्यू.–14 प्रभुराम व पी.डब्ल्यू.–15 महेन्द्र सिंह को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया है। उक्त समस्त गवाहान वरवक्त घटना, घटनास्थल पर मौजूद थे तथा अभियोजन कहानी के अनुसार उक्त समस्त गवाहान के दुर्घटना के परिणामस्वरूप उपहतियां कारित हुई। उक्त समस्त गवाहान न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं की है। उपरोक्त समस्त गवाहान पी.डब्ल्यू.–4 रूपाराम, पी.डब्ल्यू.–6 मीरा, पी.डब्ल्यू.–7 जगदीश, पी.डब्ल्यू.–9 सलीम, पी.डब्ल्यू.–12 सज्जन सिंह, पी.डब्ल्यू.–14 प्रभुराम व पी.डब्ल्यू.–15 महेन्द्र सिंह, न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में एक स्वर में मात्र एक्सीडेंट हो जाने के तथ्य की पुष्टि करते है, लेकिन दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालकों के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए इस तथ्य का भी ध्यान नहीं होने बाबत् उल्लेख करके आ रहे हैं कि दुर्घटना किस वाहन की गलती व लापरवाही से कारित हुई थी। दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाहान एक स्वर में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों की पुष्टि करते हुए दुर्घटना के परिणामस्वरूप मौका पर बैहोश हो जाने व दुर्घटना किस वाहन की गलती व लापरवाही से हुई, उन्हें ध्यान नहीं होने बाबत् कथन करके आ रहे हैं तथा उक्त समस्त गवाहान द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के तथ्य की पुष्टि की है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि, उक्त गवाहान में से गवाह पी.डब्ल्यू.–12 सज्जन सिंह, पी.डब्ल्यू.–14 प्रभुराम व पी.डब्ल्यू.–15 महेन्द्र सिंह द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बतलाया है कि मौके पर जब दुर्घटना हुई और वे बस से नीचे उतरे तब मौके पर ट्रक नहीं था और ना ही आस–पास कोई ट्रक था। गवाहान द्वारा किये गये उपरोक्त कथन दुर्घटना कारित करने वाले जब्तशुदा वाहनों के घटना में लिप्त होने के तथ्य व सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर प्रारंभ से ही संदेह उत्पन्न कराते है। जहां तक, गवाह पी.डब्ल्यू.–8 सुरेन्द्र सिंह का प्रश्न है तो उक्त गवाह के बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में बस के नंबर, ट्रक के नंबर व ट्रक कौन चला रहा था, के तथ्य उसे पता नहीं होने बाबत् उल्लेख करता है। हांलाकि, उक्त गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में एक्सीडेंट ट्रक वाले की गलती से होने बाबत् कथन किये हैं, किंतु विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी

Authenticated Document

की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह यह भी कथन करके आ रहा है कि दुर्घटना होते ही वह बेहोश हो गया था, इसलिए उसे नहीं पता कि उसी बस को किस वाहन ने टक्कर मारी थी। आगे विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह स्पष्ट कथन करता है कि वह यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई थी। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य में परस्पर भारी विरोधाभास आया, जिससे उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वरवक्त घटना मौका पर मौजूद प्रकरण के आहतगण द्वारा अभियोजन कहानी की न्यायालय के समक्ष पुष्टि नहीं की है तथा इस आशय का कोई भी कथन नहीं किया है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को हस्तगत दुर्घटना में लिप्त माना जा सके।

इसके अतिरिक्त, पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये अन्य गवाहान केवल मात्र औपचारिक साक्षीगण है। जहां घटना के महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी व समस्त आहतगण न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा उक्त महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वरवक्त दुर्घटना तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 3581 को अभियुक्त शमसेर द्वारा एवं वाहन ट्रक संख्या डीएल1 जीसी 5078 को अभियुक्त जोगिन्दरपाल द्वारा ही संचालित किया जाकर तथाकथित बस, ऑटो व अन्य व्यक्तियों के टक्कर मारी गई थी, वहां केवल मात्र औपचारिक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी प्रकार की दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती है।

13. फलतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर ऐसी कोई सारवान साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि "दिनांक 28.01.2016 को समय करीब सुबह के 07.30–08.00 ए.एम. पर गांव बरलाजसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरू में रतनगढ़ से सरदारशहर जाने वाले मेगा हाई–वे लोकमार्ग पर अभियुक्त शमसेर ने वाहन संख्या डीएल1 जीसी 3581 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए सामने से आ रही रोडवेज बस संख्या आरजे10 पीए 2948 में टक्कर मार दी और उसी समय अभियुक्त जोगिन्दरपाल ने वाहन संख्या डीएल1 जीसी 5078 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते

हुए उपरोक्त बस, ट्रक, टैम्पों संख्या आरजे10 पीए 2522 के साथ–साथ पास खड़े व्यक्तियों को टक्कर मार दी, उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आहतगण रूपाराम, सलीम, जगदीश, राकेश, प्रभुराम, सज्जन सिंह, महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मीरा एवं खीवजी के शरीर पर साधारण व घोर उपहतियां कारित हुई तथा अमरचंद, सुभाष व ताराचंद की आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आने वाली मृत्यु कारित हो गई।" इस प्रकार अभियुक्तगण शमसेर व जोगिन्दरपाल को अरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

14. अतः **अभियुक्त संख्या 1. शमसेर पुत्र लियाकत, निवासी खालो, पुलिस थाना बसोली, जिला कठुवा (जम्मू एण्ड कश्मीर) एवं अभियुक्त संख्या 2. जोगिन्दरपाल पुत्र बंशीलाल, निवासी गोपाल चक, पुलिस थाना राजबाग (क्राईम चौक मैदान) जिला कठुवा (जम्मू एण्ड कश्मीर) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है** एवं **धारा 337 भारतीय दंड संहिता में आहत सलीम की हद तक जरिये राजीनामा एवं शेष आहतगण की हद तक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।** अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

हस्तगत मामले में जप्तशुदा वाहन संख्या डीएल1 जीसी 3581, प्रार्थी सचिन जैन को, जब्तशुदा वाहन संख्या डीएल1 जीसी 5078को प्रार्थी कुलदीप सिंह, जब्तशुदा वाहन बस संख्या आरजे10 पीए 2948, प्रार्थी करणी सिंह को एवं जब्तशुदा वाहन टैम्पों संख्या आरजे10 पीए 2522, प्रार्थी ओमप्रकाश को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिया गया था, जो सुपुर्ददार के पास रहे तथा सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः ही निरस्त समझे जावे। इसके अतिरिक्त, प्रकरण में जब्तशुदा पत्रावली पर संलग्न वाहनों के मूल कागजात, अभियुक्तगण के ड्राईविंग लाईसेंस बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार संबंधित व्यक्ति को लौटाये जावे तथा अन्य कोई सामग्री हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियामनुसार निस्तारण किया जावे।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत, प्रत्येक अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु छः माह की अवधि के लिए राशि 10 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की एक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

15. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

Digitally signed by
SURESH UPADHYAY
Location: CJ & JM Court,
Sardarshahar Dist. Churu
Date: 2026.03.16
17:36:15 +0530

Authenticated Document